*वित्तीय संगुट में लेखा-परीक्षा समितियों की भूमिका**

एस.एस.मूंदड़ा

प्रस्तावना

सुश्री चंदा कोचर, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की सहयोगी संस्थाओं के बोर्डों की लेखा-परीक्षा समिति के सदस्य और आईसीआईसीआई बैंक समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण। यह मेरे लिए वास्तव में प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे बैंक और उसकी सहयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा समिति के सदस्यों के बीच संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ कि यह पांचवां अवसर है जब इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया गया है और मैं आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधन को इस प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करने के लिए बधाई देता हूँ।

2. मुझे ज्ञात है कि आईसीआईसीआई बैंक की 34 सहयोगी संस्थाएं/एसोसिएट्स हैं। मूल बैंक के शीर्ष प्रबंधन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि सहयोगी संस्थाएं पेशेवराना तरीके से कार्य करें और इसे सुनिश्चित करने में संबंधित लेखा-परीक्षा समितियों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. आज मैं अपने संबोधन में यह बताना चाहूंगा कि विनियामकों की लेखा-परीक्षा समितियों से क्या अपेक्षाएं हैं और मैं यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि विनियामकीय/पर्यवेक्षीय परिदृश्य में उभरती हुई कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनपर वित्तीय संगुटों की लेखा-परीक्षा समितियों का भविष्य में ध्यान आकर्षित किया जाएगा। लेकिन, इसके पूर्व मैं लेखा-परीक्षा समितियों के उद्भव के बारे में दो-चार मिनट बातें करना चाहूँगा।

4. मस्क्वॉय नामक कंपनी काफी पहले 1555 में संयुक्त स्टॉक कंपनी के नाम से बनी थी और उसके चार्टर में 'दुःखी, निर्लिप्त और ईमानदार' विशेषता के बोर्ड में चार सदस्य थे। आज के संदर्भ में 'दुःखी' का अर्थ अप्रसन्न रहने वाले के अर्थ में है। 16वीं शताब्दी में देखें तो दुःखी का अर्थ 'तृप्त' अथवा 'संतुष्ट' भी होता था। वहीं निर्लिप्त और ईमानदार शब्दों की अधिक व्याख्या करने की शायद आवश्यकता नहीं है।

5. हम सभी यह जानते हैं कि प्रबंधन के अलावा, कंपनियों को भी गवर्नेंस ढांचे की जरूरत होती है, मुख्यतया शेयरधारकों के मूल्य को बनाए रखने की दृष्टि से। ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं जो कंपनियों में गवर्नेंस पहलू को बढ़ाने में लेखा-परीक्षा समितियों की भूमिका को परिभाषित करते हैं। अमरीका के ट्रेडवे आयोग की रिपोर्ट 1987, यूके में कैडबरी समिति रिपोर्ट 1992 और भारत में कुमारमंगलम बिरला समिति रिपोर्ट 2000 जिनमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि लेखा-परीक्षा समितियों में कुछ थोड़ी संख्या में ऐसे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जो 'दुःखी, निर्लिप्त तथा ईमानदार' स्वरूप के हों।

6. लेखा-परीक्षा समितियां, अनिवार्य रूप से सद्-विवेक बनाए रखने की भूमिका निभाती हैं और विवेकपूर्ण सनदी लेखाकारों से एक प्रकार से यह उम्मीद की जाती है कि वे संस्था के कार्यों को अपेक्षित ढंग से करने के लिए प्रबंधन का मार्गदर्शन करें। उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों में से मुख्य है समस्त विनियामकीय दिशानिर्देशों, कानूनी प्रावधानों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना, तथा खासतौर से खातों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना ताकि संस्था का तुलनपत्र उसके वित्तीय निष्पादन की सही और साफ तस्वीर प्रस्तुत कर सके।

7. हाल के वर्षों में सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग तथा धोखाधड़ी को रोकने में कार्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ता जा रहा है और एक कुशल तथा स्वतंत्र लेखा-परीक्षा समिति की उपस्थिति को इस चक्र की प्रमुख धुरी माना जाता है। भारत में, लेखा-परीक्षा समिति का गठन आमतौर पर कार्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली का हिस्सा माना जाता है जिसका पालन 'सूचीबद्ध' निगमों को सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अंतर्गत करना होता है और कुछ सरकारी कार्पोरेशन को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पालन करना होता है। बैंकिंग कंपनियों के लिए यह अपेक्षा अप्रैल 1994 से प्रारंभ की गई जब

* श्री एस.एस.मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 13 जनवरी, 2015 को आईसीआईसीआई बैंक में दिया गया विशेष व्याख्यान।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उनके बोर्डों के लिए लेखा-परीक्षा समिति गठित करने के लिए सूचित किया था।

बैंक में लेखा-परीक्षा समितियों की भूमिका

8. आप इस बात से सहमत होंगे कि बैंकों में लेखा-परीक्षा समितियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है और अंततः समीक्षा का कैलेंडर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) के समक्ष विभिन्न अवधियों में प्रस्तुत करना होता है जिनमें 25 मदें होती हैं। इससे न केवल एसीबी के महत्व का पता चलता है बल्कि उस विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है जो बैंकिंग क्षेत्र का रेगुलेटर समिति में देखता है। इनमें से कुछ समीक्षाएं इस प्रकार हैं :

- भा.रि.बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण में दिए गए निष्कर्षों के अनुपालन की समीक्षा
- लेखा-योजना की समीक्षा
- विवेकपूर्ण शक्तियों के उपयोग में विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा उल्लंघन की सूचना की समीक्षा
- अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारण (एएमएल) के अनुपालन की समीक्षा
- मेजबान देशों में विदेशी शाखाओं के संबंध में विनियामक की अपेक्षाओं के अनुपालन की समीक्षा
- धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा

9. अब मैं इस अवसर का लाभ एसीबी के महत्व को देखते हुए उनके द्वारा फोकस किए जाने वाले ऐसे कुछ क्षेत्रों पर ज़ोर देना चाहूँगा - बैंक-विशिष्ट तथा प्रणालीगत दोनों दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा।

(ए) **केवाईसी/एएमएल** : हाल के दिनों में बैंकों पर लगाए जाने वाले विनियामकीय जुर्माने में अधिकांश हिस्सा संभवतः केवाईसी/एएमएल के अनुपालन का उल्लंघन करने के संबंध में होता है। मेज़बान देश के विनियामक विदेशी बैंकों के लिए विशेष रूप से कठोरता बरतते हैं। सिर्फ दिसंबर 2012 में, लंदन स्थित दो बैंक, एचएसबीसी समूह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दोनों द्वारा धन-शोधन निवारण के संबंध में अमरीकी कानून का उल्लंघन करने तथा संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने के लिए 2 बिलियन डालर से अधिक का वित्तीय जुर्माना अदा करना पड़ा।

वित्तीय संस्थाओं पर लगाएं जाने वाले विनियामकीय जुर्माने की बढ़ती घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनत अडमती ने लिखा कि जुर्माने को 'कारोबार करने की लागत' के रूप में देखा जाना चाहिए। 'वे समस्या की तह तक नहीं पहुंचते हैं और उनके व्यवहार को बदलने में कारगर नहीं हैं, क्योंकि बैंक के भीतर ऐसे लोग इस प्रकार का कार्य करने के लिए मौजूद होते हैं, जिन्हें भारी भरकम प्रोत्साहन राशि दी जाती है'।

भारत में भी, पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही कुछ जुर्माना लगाए जाने की घटनाएं हुई हैं जो बैंकों पर केवाईसी/एएमएल के उल्लंघन के लिए लगाए गए थे। मुझे नहीं मालूम कि एक बैंकर के रूप में हमें अडमती से सहमत होना चाहिए या नहीं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं बार-बार होने से अडमती की बातों से सहमत होना ज़रूरी लगता है। मेरा मानना है कि बैंकों में उनकी चूक के लिए उपयुक्त दंडात्मक प्रणाली न होने से इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अतः, एसीबी से हमारी अपेक्षाएं यह हैं कि वे इस प्रकार के विनियामकीय जुर्माना/प्रतिबंध के कारणों पर ध्यानपूर्वक फोकस करें और उसके मूल-कारणों का विश्लेषण करें ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। हो सकता है कि कुछ बैंकों ने इस प्रकार की प्रक्रिया लागू भी कर रखी हो। किंतु दुर्भाग्य से यह प्रक्रिया विश्लेषण तक आते-आते रुक जाती है और विश्लेषण का कोई नतीजा नहीं निकलता है क्योंकि उसका उपयोग जवाबदेही निर्धारित करने या विद्यमान प्रणाली एवं प्रक्रिया में और सुधार लाने के लिए नहीं किया जाता है।

ऐसे समूह जिनकी विदेश में काफी उपस्थिति है, उन्हें मैं सावधान करना चाहता हूँ। हमें एक खास विदेशी क्षेत्र में रहकर राजस्व बढ़ने या बॉटम-लाइन में वृद्धि होने से बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति में और अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वित्त का मूल सिद्धांत 'अधिक जोखिम, अधिक प्रतिफल' है और इसकी प्रासंगिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई है और एक वित्त पेशेवर के रूप में हमें इस सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए।

(बी) **भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण** : जैसाकि आप जानते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है और अब जोखिम-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) एक मॉडल पर बना हुआ है जिसमें विभिन्न पहलू हैं जैसे जोखिम मूल्यांकन, जोखिम की माप और जोखिम का समुच्चयन। आरबीएस प्रक्रिया काफी हद तक आंकड़ों के इस्तेमाल पर आधारित है और बैंक प्रबंधन को यह महसूस करना चाहिए कि बैंक के निष्पादन का पर्यवेक्षीय कार्य आंकड़ों/सूचनाओं की क्वालिटी पर निर्भर करता है। यहां मैं यह बताना चाहता हूँ कि शायद एसीबी भी इस पहलू पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि वह स्वयं को पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए निष्कर्षों के अनुपालन की समीक्षा तक सीमित रखती है। कई बार तो एसीबी अनुपालन के मामले में भी सही तरह से निगरानी नहीं रख पाती हैं। यदि ऐसा न होता तो शायद कई प्रकार के निष्कर्ष या समान प्रकार के निष्कर्ष आगामी पर्यवेक्षीय रिपोर्टों में दुबारा न शामिल किए जाते । मैं एसीबी को यह बताना चाहूँगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निष्कर्ष नमूना जांच पर आधारित होते हैं। लेकिन बैंक के अनुपालन बैंक को बताई गई घटना के अनुपालन तक ही सीमित न हों। इसका उद्देश्य पूरे बैंक में प्रणाली तथा प्रक्रियाओं की कमियों को दूर करना होना चाहिए ताकि वही बातें दुबारा न होने पाएं। कमी के स्वरूप पर ध्यान दिया जाना चाहिए न कि इस बात पर पर्यवेक्षक ने कितनी कमियां बताई हैं और उनमें से कितनी कमियां दूर कर ली गई हैं। जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों में सिस्टम और प्रक्रियाओं पर फोकस किया जाए। बैंकों के शीर्ष प्रबंधन तथा खासतौर से एसीबी सदस्यों के लिए यह जरूरी होगा कि वे इन पहलुओं को अपनी अंतरिक प्रणाली में शीघ्रता से शामिल कर लें और संपूर्ण आरबीएस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने का सिस्टम विकसित करें।

(सी) **धोखाधड़ी** : यह भी एक अन्य क्षेत्र है जिसके लिए एसीबी सदस्यों का अधिक फोकस और संवेदी होना ज़रूरी है। हर कोई इस बात से सहमत होता है कि इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक उपयुक्त प्रणाली लागू हो। सिस्टम और प्रक्रियाएं संभवतः लागू की गई होंगी। लेकिन, क्या वे सही तरह से कार्य कर रही है ? हम उनकी ओर तब तक ध्यान नहीं देते है जब तक कि कुछ गंभीर स्वरूप की घटना नहीं घट जाती है। बैंक के भीतर सूचनाओं का प्रसार कितनी गति से होता है ? आंतरिक सूचनाएं कितनी तेज़ी से शाखाओं के अग्र-कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ के पास पहुंचती हैं ? इस बात का मूल्यांकन करने से बैंक की लाभ-वृद्धि में कमी नहीं आएगी बल्कि बैंक इससे कई बार लज्जित होने से बच जाएगा। हाल ही में कुछ बैंकों में मीयादी जमा से संबंधित धोखाधड़ी के बारे में की गई जांच से पता चलता है कि यहां तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ व्यक्तियों के बारे में भेजी गई सावधानी सूचना को भी शाखा के अधिकारियों को शीघ्रता से नहीं पहुंचाया गया है जिससे कि वे उससे बचने के उपाय कर सकें। क्या इस स्थान पर एसीबी की कोई भूमिका है ? मेरा मानना है कि एसीबी को धोखाधड़ी की ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति पर निगरानी रखनी चाहिए और उससे कुछ खास सबक हासिल किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रबंधन ने उसे रोकने के लिए उपाय कर लिए हैं।

(डी) **तिमाही/वार्षिक परिणामों की समीक्षा** : जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि विनियामक सहित समस्त हितधारकों की प्रमुख अपेक्षा यही है कि एसीबी लेखांकन प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करे। बैंकों के मामले में, एसीबी को आस्ति-गुणवत्ता, अग्रिमों की पुनर्रचना के मामलों, किए गए प्रावधानों आदि को बारीकी से देखने की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के दौरान, हमारे निरीक्षकों द्वारा आस्ति-वर्गीकरण तथा किए गए प्रावधानों में अत्यधिक डाइवर्जन की रिपोर्टिंग की जाती है जो बैंक की वित्तीय स्थिति पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। मैं यहां यह बताना चाहता हूँ कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षक आन-साइट पर सीमित समय में इन कमियों का पता लगा लेते हैं तो फिर बैंक के लेखा-परीक्षक क्यों नहीं लगा पाते। मुझे नहीं मालूम कि कितनी एसीबी वास्तव में सांविधिक लेखा-परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा-परीक्षकों से इस प्रकार की घटनाओं का पता न लगा पाने के बारे में सवाल करती हैं ? क्या यह लेखापरीक्षकों की अक्षमता है या फिर कोई अन्य गहरा मामला है - ऐसा मामला जिसमें स्वयं प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कुछ करने की ज़रूरत है ? लेखों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए यह अनिवार्य है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ के लिए पर्याप्त प्रावधान जैसे पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण आदि (जहां लागू हो) रखा जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि एसीबी विभिन्न निहित मान्यताओं के बारे में प्रबंधन से सही प्रश्न करें, जिनकी अपेक्षित प्रावधानों में गणना की जाती है जैसे - जीवित रहने की आयु, भुनाई दर, निवेश पर प्रत्याशित प्रतिफल आदि। मैं एसीबी से आग्रह करता हूँ कि वे असहज स्वरूप के प्रश्न करें। इसके अलावा, एक पूर्णरूपेण आरबीएस प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की लेखापरीक्षकों पर निर्भरता और बढ़ने जा रही है और एक बहुत ही सक्षम एसीबी काफी हद तक पर्यवेक्षीय सहजता प्रदान करेगी।

समूह कंपनियों में लेखापरीक्षा समितियों की भूमिका

10. एक वित्तीय संगुट के रूप में, आईसीआईसीआई समूह विभिन्न प्रकार के कारोबार करता है जिसके लिए उसे घरेलू एवं विदेशी स्तर पर कई रेगुलेटर्स के विनियमन का पालन करना पड़ता है। सेबी के कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार बोर्डों की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है :

- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करना, साथ ही खासतौर से प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ऐसी राशियों जो बड़ी लेखांकन प्रविष्टि के रूप में हो (ठीक उसी प्रकार जैसाकि मैंने पिछली बात में उल्लेख किया है)।
- निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, वरीयता निर्गम आदि) के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग/इस्तमाल के विवरण की समीक्षा करना।
- अंतर-कार्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा करना
- आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य पर्याप्तता की समीक्षा करना
- सूचना प्रदान करने वाले तंत्र के कार्यों की समीक्षा
- सीएफओ की नियुक्ति का अनुमोदन
- मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति, हटाया जाना और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा इरडा के कार्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों में भी बीमा संस्थाओं की एसीबी के लिए इसी प्रकार की भूमिका निर्धारित की गई है।

11. सभी प्रकार के वित्तीय संगुट (एफसी) का ढांचा अत्यधिक जटिल प्रकार का समूह है जिसमें समूह संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण परस्पर संबद्धता होती है। इस प्रकार की जटिलता से आमतौर पर आंतरिक जोखिमों तथा परस्पर-संबद्धता पर पर्दा पड़ा रहता है। भारत में घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के विनियामकों ने

एक निगरानी प्रणाली लागू की है जिसके लिए वित्तीय संगुटों का निर्धारण किया गया है जो अंतर-समूह तथा आंतर-समूह लिंकेज के मूल्यांकन तथा एफसी की अंतर-संबद्धता से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिमों का मूल्यांकन करेंगे। वित्तीय संगुटों के साथ की गई पिछली कुछ बैठकों में जो प्रमुख मुद्दे उभरकर आए हैं उनमें शामिल हैं - समूह संस्थाओं के बीच बिल्कुल नज़दीकी समान स्तर के संबंधों का निर्वाह न किया जाना, समूह में बड़े पैमाने पर जोखिम प्रबंधन एक्सपोज़र संरचना, तथा अनुपालन ढांचे का अभाव आदि। मेरा मानना है कि लेखा-परीक्षा समितियों को इन बैठकों के परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए और उन्हें रेगुलेटरों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने के लिए प्रबंधन से आवश्यक हस्तक्षेप का आग्रह करना चाहिए। इस विषय से संबंधित एक और विचार मेरे मन में यह है कि अंतर-संबद्धता मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न लेखा-परीक्षा समितियों की समय-समय पर बैठक आयोजित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

उभरते विनियामकीय/पर्यवेक्षी मुद्दे

12. अब मैं विश्व स्तर पर उभरते हुए ऐसे कुछ विनियामकीय/पर्यवेक्षी मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जिनकी जानकारी लेखा परीक्षा समितियों को समुचित रूप से होनी चाहिए और उन्हें प्रबंधन से अपेक्षा करनी चाहिए कि प्रबंधन उसके बारे में उन्हें जानकारी देता रहे और अद्यतन करता रहे।

ए) टीएएलसी (कुल हानि-वहन क्षमता)

विश्व स्तर पर मानक निर्धारित करने वाले निकाय विश्व में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) की असफलता से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से अवगत थे और फलस्वरूप समाधानस्वरूप इन संस्थाओं की हानि-वहन करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए एफएसबी ने एक विशेष न्यूनतम स्तंभ 1 'कुल हानि-वहन क्षमता (टीएएलसी)' की आवश्यकता प्रस्तावित की जिसे जोखिम भारित आस्तियों के 16-20 प्रतिशत के बीच निर्धारित किया जाए। टी ए एल सी अपेक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जी-सिब के पास पर्याप्त रूप से हानि-वहन क्षमता तथा पुनःपूंजीकरण क्षमता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि तत्काल रूप से समाधान हेतु करदाता की निधि के बिना अथवा वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डाले बिना महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखा जा सकता है।

जहां टीएएलसी की अपेक्षाएं वर्तमान में किसी भारतीय बैंक पर लागू नहीं हैं, वहीं इससे उभरते बाज़ारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर जोखिम का प्रभाव फैल सकता है क्योंकि टी ए एल सी प्रस्ताव का जी-सिब राष्ट्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुल हानि-वहन क्षमता की अपेक्षा को संबंधित अधिकारक्षेत्र में डी-सिब के रूप में निर्दिष्ट संस्थाओं पर भी लागू कर दिया जाए और ऐसे बैंकिंग समूह जो भारत में डी-सिब के रूप में निर्दिष्ट किए जाने की क्षमता रखते हैं (भा.रि.बैंक द्वारा पिछले वर्ष लाई गई संरचना के आधार पर) उन्हें इस प्रकार के अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। इसी संदर्भ में यह भी बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार की संरचना जी-सीईज (विश्व स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता) और एनबीएनआई जी-सिफीज (गैर-बैंक गैर-बीमाकर्ता वैश्विक रूप से प्रणालीगत तरीके से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं) के बारे में भी एफएसबी स्तर पर चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है और भारत में कुछ अन्य संस्थाओं को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंक गैर-बीमाकर्ता संस्था के रूप में घरेलू स्तर पर निर्दिष्ट किया जा सकता है और उनपर और भी कठोर ऋणशोधन क्षमता तथा चलनिधि संबंधी अपेक्षाएं लगाई जा सकती हैं। लेखा-परीक्षा समितियों के लिए आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र में विश्व स्तर/घरेलू स्तर पर होने वाली प्रगति से अपनी संबंधित संस्थाओं को अवगत रखें तथा जैसे ही वह स्थिति उत्पन्न हो, विनियामकीय अपेक्षा को पूरा करने की योजना बनाएं।

बी) बासेल पूंजी समझौता के संबंध में उन्नत दृष्टिकोण

हाल ही में बासेल परामर्शी समूह द्वारा एक वर्किंग पेपर[1] प्रकाशित किया गया था जिसमें यह चेतावनी दी गई थी कि ईएमडीई और छोटी अर्थव्यवस्थाओं के बैंक बिना तैयारी के आईआरबी दृष्टिकोण को अपना सकते हैं और अपने तुलनपत्र से जुड़े समस्त भारी जोखिमों को न दर्शाते हुए और न ही गणना में लेते हुए पूंजी की अधिक अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। पूंजी की अधिक अपेक्षा बैंकों के लिए प्रोत्साहन पैदा करेगी कि वे बासेल II के अंतर्गत उन्नत जोखिम मापन तकनीक का उपयोग उसी तुलनपत्र में न्यूनतर अस्पष्ट जोखिम भार प्राप्त करने के लिए करें और पर्यवेक्षक पर यह दबाव डालें कि वह इस प्रथा को अनुमोदित करें भले ही बैंक तैयार न हो (उदाहरण के लिए - प्रतिष्ठा संबंधी चिंता प्रकट करते हुए)। इससे प्रत्याशित या अप्रत्याशित हानियों के प्रति एक प्रकार का एक पक्षीय / कृत्रिम कुशन पैदा होगा और इस प्रक्रिया में समस्त संस्थाओं में एकरूपता और तुलनात्मकता में कमी आएगी क्योंकि जोखिम मापने में अत्यधिक अंतर होगा और निहित जोखिमों का बहुत अधिक प्रबंधन नहीं करना होगा। अतः, लेखा-परीक्षा समितियों के लिए जरूरी है कि वे स्वयं को इस प्रकार के माइग्रेशन के लिए संतुष्ट कर लें और जब ऐसा हो तब वह सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित हो।

सी) डी-सिब

जैसाकि मैंने पहले बताया है, कि भारत में कुछ बैंकिंग समूहों को डी-सिब के नाम से अभिहित किए जाने की संभावना को बाजार में यह समझा जाएगा कि ऐसे बैंकों का प्रवेश है जो 'इतने बड़े हैं कि असफल नहीं हो सकते'। इस संदर्भ में, यह हो सकता है कि रेगुलेटर उनसे यह कहे कि वे व्यापक स्तर पर वसूली एवं समाधान योजना तैयार करें। लेखा-परीक्षा समितियों को यह अच्छी तरह समझना होगा कि बैंकिंग-समूह की डी-सिब स्टेटस मिलने पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और समूह के लिए एक तीव्र 'वसूली और समाधान योजना' बनानी होगी और उसपर निगरानी रखनी होगी।

डी) पर्यवेक्षी महाविद्यालय

पिछले कुछ समय में, कुछ भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपने परिचालन काफी हद तक बढ़ा लिए हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार के साथ बढ़ता एकीकरण और भारतीय निगमित बैंकों की बड़ी संख्या में विदेशों में उपस्थिति से यह आवश्यक हो गया है कि मेज़बान देशों के पर्यवेक्षकों के साथ नज़दीकी संपर्क बनाया जाए। विदेशी पर्यवेक्षक भी बैंक के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकों के पर्यवेक्षण के प्रति दृष्टिकोण पर फोकस करेंगे। इस उद्देश्य से तथा हमारी सीमा-पार तथा समस्त क्षेत्र में पर्यवेक्षण के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए भा.रि.बैंक ने छह बैंकिंग समूह में पर्यवेक्षी महाविद्यालय की स्थापना की है। इन बैंकिंग समूहों की एसीबी, इन पर्यवेक्षी महाविद्यालयों के बने रहने के दौरान, विभिन्न विदेशी पर्यवेक्षकों तथा अन्य क्षेत्र के रेगुलेटर्स द्वारा उठाई गई चिंताओं से अच्छी तरह अवगत होती रहेंगी और पर्यवेक्षी चिंताओं के प्रति बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई हेतु पहल की अगुवाई करेंगी।

ई) भारत में बैंक/बैंकिंग समूह के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपाय प्रारंभ किए जाएंगे/किए जाने की संभावना है जिनमें शामिल हैं - बैंकों के ऐसी संस्थाओं में एक्सपोज़र के लिए पूंजी और प्रावधान की अपेक्षा जहां विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र अनहेज्ड है, केंद्रीय प्रतिपक्षों के प्रति बैंक एक्सपोज़र के लिए पूंजी की अपेक्षा, प्रति चक्र बफर का प्रावधान, चलनिधि कवरेज अनुपात और लीवरेज अनुपात। एसीबी स्वयं को इन विनियामकीय अपेक्षाओं के बारे में और अधिक जानकारी रखें और बैंक द्वारा इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम

[1] वर्किंग पेपर सं.27 (उभरते बाजार, विकासशील और छोटी अर्थव्यवस्थाओं में बासेल संरचना का प्रभाव और कार्यान्वयन की चुनौतियां)।

से स्वयं को नियमित रूप से अद्यतन करती रहें। इसके अलावा, लेखा-परीक्षा समितियों को संस्था की लेखापरीक्षा प्रारंभ करने पर निगरानी रखनी होगी और विनियामकीय परिदृश्य में होते हुए बदलाव के अनुरूप कार्यों को नियंत्रित करेंगी।

म्युचुअल फंड उद्योग

13. भारत में शीर्ष की दस एएमसी की इक्विटी में पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का तथा इक्विटी स्टॉक में उनकी शीर्ष की दस होल्डिंग्स का विश्लेषण करने से पता चलता है कि एएमसी की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स कुछ एक- जैसे स्टॉक पर आधारित हैं जिससे कुछ खास स्टॉक समूह के प्रति वरीयता का पता चलता है। हालांकि कतिपय विनियम हैं जो एएमसी के एक्सपोजर पर सीमा निर्धारित करते हैं / खास शेयरों के लिए योजनाएं हैं, इसलिए म्युचुअल क्षेत्र द्वारा एक ही स्थान पर अत्यधिक केंद्रित हो जाने से प्रतिभूति बाजार की स्थिरता तथा प्रत्येक एएमसी के निष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। मेरा आग्रह है कि संबंधित लेखा-परीक्षा समिति इसे अपनी समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं।

आईएफआरएस क्रियान्वयन की चुनौतियां

14. एक अन्य क्षेत्र भी है जिसके बारे में एसीबी द्वारा बारीकी से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वह है आईएफआरएस की ओर माइग्रेशन में हुए अत्यधिक विलंब के कार्यान्वयन पर ध्यान देना। जैसा कि आप जानते होंगे कि माननीय वित्त मंत्री ने जुलाई 2014 में अपने बजट भाषण में यह घोषित किया था कि कार्पोरेट आईएफआरएस कन्वर्ज्ड भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय एएस) की ओर वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक रूप से तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 से अनिवार्य रूप से माइग्रेशन करें। साथ ही, आईएएसबी ने आईएफआरएस-9 को अंतिम रूप दे दिया है और उसे जनवरी 2018 से अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बैंकों वित्तीय वर्ष 2018-19 से भारतीय एएस की ओर माइग्रेट होने का मार्ग आसान बन जाएगा।

15. इस संबंध कार्यान्वयन संबंधी अनेक चुनौतियां हैं। रेगुलेटर्स के लिए यह कार्य है कि वे बैंकों द्वारा अपनाए जा रहे भारतीय लेखांकन मानक को वर्तमान के आईएफआरएस के अनुरूप बनाएं और बैंकों की ओर से इसमें आनेवाली अनेक बाधाओं को दूर करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जा रही आईटी प्रणाली को लेकर होगी। आईएसआरएस के अंतर्गत प्रस्तावित खराब गणना, प्रभावी ब्याज दर के आधार पर ब्याज आय की गणना, तथा परिचालनों एवं विभिन्न पोर्टफोलियो के लिए इस्तेमाल की जा रही वर्तमान विभिन्न प्रणालियों को लेकर यह जरूरी हो जाएगा कि आईएफआरएस की ओर माइग्रेशन के लिए इनका उन्नयन करना होगा/ नई प्रणाली के अनुसार पुनः उसके अनुरूप बनाना होगा। बैंकों के लिए यह भी चुनौती होगी कि वे वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वित्तीय लेखांकन तथा कर की गणना के लिए नीतियों में तबदीली करें।

16. आईएफआरएस में प्रवीण स्टाफ सहित कुशल लेखांकन के स्टाफ की कमी बहुत अधिक है जिसका सामना न केवल बैंकों को बल्कि कार्पोरेट को भी करना पड़ेगा। बैंकों के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की समस्या गंभीर होने वाली है क्योंकि उन्हें विभिन्न विभागों जैसे ऋण, तिजोरी आदि के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होगी। आईसीआईसीआई समूह के लिए, जिसकी विदेश में काफी उपस्थिति है, आवश्यक है कि इस बात पर अधिक ध्यान दें और उसे तेजी से आगे बढ़ाएं तथा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सही भावना से तैयार रहें। इस संबंध में एसीबी को अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

नया कंपनी अधिनियम

17. नये कंपनी अधिनियम की धारा 177 में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियां और कतिपय गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां, लेखा-परीक्षा समिति रखें जिसमें कम से कम तीन निदेशक हों और जिसमें अधिक संख्या स्वतंत्र निदेशकों की हो। मुझे विश्वास है कि समूह ने इस अपेक्षा को नोट कर लिया होगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

होल्डिंग कंपनी का ढांचा

18. आपको ज्ञात ही है कि जहां नए बैंकों को लाइसेंस देने की वहीं बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनी की संरचना के बारे में आजकल कुछ चर्चाएं हो रही हैं। इस संदर्भ में, लेखा-परीक्षा समिति को इस बात के प्रति भी संवेदनशील होना होगा कि वर्तमान बैंक-सहयोगी संस्था मॉडल से होल्डिंग कंपनी संरचना की ओर जाने से बैंक पर कर या विनियामकीय रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्ष

19. अंत में, मैं यह पुनः कहना चाहूंगा कि लेखा-परीक्षा समितियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिदेश दिया गया है और समस्त हितधारकों की ओर से उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं उठाने की जिम्मेदारी है। रेगुलेटर की हैसियत से हम इन समितियों में अत्यधिक पेशेवराना भरोसा रखते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि समिति में सामूहिक रूप से संतुलित कौशल हो और वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखांकन और लेखापरीक्षा में ज्ञान की विशेषज्ञता एवं प्रासंगिक अनुभव हो और वे अपने अधिदेश के अनुसार एवं संभावित क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी सक्षमता के साथ करें। बदलता विनियामकीय परिदृश्य तथा जोखिम प्रबंधन एवं कार्यों पर नियंत्रण पर जोर ने लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका को न केवल आज बल्कि आने वाले दिनों में भी महत्वपूर्ण बना दिया है। मुझे यकीन है कि आईसीआईसीआई समूह, जिसकी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रमुख उपस्थिति है और वह इस अपेक्षा से अवगत है तथा विभिन्न हितधारकों द्वारा लेखा-परीक्षा समितियों से की गई अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

मैं आपको सफल विचार-विमर्श के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद !